देश के विभिन्न भागों में हुए बम विस्फोटों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी०बी०आई०) द्वारा जांच

6752. **श्री जनार्दन यादव:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले वर्ष देश के विभिन्न भागों में हुए बम विस्फोटों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गयी जांच के क्या परिणाम निकले है;

(ख) यहां तक कि एक वर्ष से भी अधिक समय बीत जाने के पश्चात भी इन घृणित और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति को अब तक सजा न दिये जाने के क्या कारण है; और

(ग) क्या यह सच है कि बम-विस्फोटों की जांच करने वाले उन सी०बी०आई० अधिकारियों का उस स्थान से स्थानान्तरण कर दिया गया है जिसके फलस्वरूप जांच में अड़चनें आ रही हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) और (ख) बम्बई बम विस्फोट घटनाओं की जांच पड़ताल प्रारम्भ में बम्बई पुलिस द्वारा की गयी थी। जांच पड़ताल पूरी करने के बाद, बम्बई पुलिस ने 4.11.1993 को अभिहित न्यायालय में 189 व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए। बम्बई पुलिस द्वारा आरोप पत्र दायर करने के बाद, आगे की जांच पड़ताल का कार्य केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अपने हाथ में ले लिया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच पड़ताल करने के बाद दो और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। केन्द्रीय जांच ब्यूरो, मद्रास में अगस्त, 1993 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय में हुए बम विस्फोट और दिसम्बर, 1993 में ट्रेन में हुए बम विस्फोट की जांच पड़ताल भी कर रहा है। मद्रास बम विस्फोट के मामले में अभी तक 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ट्रेन में हुए बम विस्फोट से संबंधित मामले में, अभी तक 13 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जांच पड़ताल प्रगति पर है और जैसे ही जांच पड़ताल पूरी हो जाएगी संबंधित न्यायालयों में आरोप पत्र दायर किए जाएंगे।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

Repatriation of Chakma and Hajong Refugees

6753. SHRI NYODEK YONGGAM: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have received any memorandum from the Government of Arunachal Pradesh for repatriation of Chakma and Hajong refugees settled in Changlang district of Arunachal Pradesh to Bangladesh;

(b) whether Government arc proposing a dialogue with the Bangladesh Govemment for repatriation of these refugees; and

(c) if so what arc the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P.M. SAYEED): (a) to (c) In the recent past, the State Government of Arunachal Pradesh had forwarded a copy of the Resolution adopted by the Legislative Assembly of the State on 21 September 1993. The Resolution had, inter-alia, reiterated the State Assembly's earlier Resolution for deportation of Chakma and other refugees from Arunachal Pradesh. There is no proposal to have a dialogue with the Government of Bangladesh for repatriation of these refugees because of Government's policy to consider grant of Indian citizenship to such refugees who came to India from the erstwhile East Pakistan (now Bangladesh) before 25 March, 1971 provided their cases are recommended by the concerned State Government. The Government of Arunachal Pradesh have expressed certain difficulties in making the necessary recommendation under the Citizenship Rules.